

धारा-21. मतदान की रीति- प्रत्येक व्यक्ति, विशेष सदस्य, प्रत्येक प्रतिनिधि तथा प्रत्येक नाम निर्दिष्ट व्यक्ति सहकारी समिति के प्रशासन में स्वयं मतदान करेगा और किसी भी सदस्य प्रतिनिधि अथवा नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति को दूसरे के माध्यम से मतदान करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।